सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की आलोचनाएँ/ सीमाएँ
(CRITICISMS OR LIMITATIONS OF LAW OF EQUI-MARGINAL UTILITY)

समय-समय पर सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की आलोचनाएँ की जाती रही हैं, जिन्हें हम इस नियम की सीमाएँ भी कह सकते हैं। इन्हीं सीमाओं के कारण इस नियम के प्रयोग में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को भी अधिकतम सन्तुष्टि की प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी प्रमुख सीमाएँ निम्नलिखित हैं :

1. **उपभोक्ताओं की आदत व स्वभाव** (Habit and Nature of the Customers)—व्यावहारिक जीवन में शायद ही कोई उपभोक्ता सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के आधार पर अपने सीमित साधनों का प्रयोग अधिकतम सन्तुष्टि की प्राप्ति हेतु करता हो। अतः व्यावहारिक जीवन में यह एक अव्यावहारिक नियम है। यदि उपभोक्ता इस नियम का पालन करे तो वह अवश्य ही लाभान्वित होगा।

2. **वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन** (Changes in the price of the Commodity)—वस्तुओं की कीमतें सदैव परिवर्तनशील होती हैं, जिससे वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की गणना सम्भव नहीं हो पाती है। फलतः यह नियम व्यर्थ प्रतीत होने लगता है।

3. **वस्तुओं का अभाव** (Scarcity of goods)—कभी-कभी कुछ लाभप्रद वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध नहीं होती हैं, जिससे उपभोक्ता को उनकी जगह पर कम लाभप्रद वस्तुएँ खरीदने के लिये विवश होना पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में यह नियम लागू नहीं होता है।

4. **रीति-रिवाज एवं फैशन का प्रभाव** (Effect of Custom and Fashion etc.)—उपभोक्ता रीति-रिवाज तथा फैशन का दास होता है। ऐसी स्थिति में उसे कम उपयोगी वस्तुएँ भी विवशतावश खरीदनी पड़ती हैं, अर्थात् इनके सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता है।

Scanned with CamScanner

5. **आवर्तक खर्चे** (Recurring expenses)—मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में कुछ आवर्तक खर्चे होते हैं जिन्हें पूरा करना ही होता है; जैसे—मकान किराया, बीमा प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस आदि। इनके सम्बन्ध में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है।

6. **वस्तु के विभाजन में कठिनाई** (Difficulty in division of Commodity)—विभाज्यता के दृष्टिकोण से वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं—(i) विभाज्य वस्तुएँ तथा (ii) अविभाज्य वस्तुएँ। सम-सीमान्त उपयोगिता नियम केवल विभाज्य वस्तुओं के ही सम्बन्ध में लागू होता है, क्योंकि इन्हें छोटे-छोटे भागों में बाँटा जा सकता है। किन्तु मनुष्य के व्यावहारिक जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएँ आती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। विभाजन से उनकी उपयोगिता या तो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है; जैसे—हीरा, मूँगा, मोती, स्कूटर, मशीन आदि। ऐसी स्थिति में यह नियम क्रियाशील नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिये कि यदि कोई व्यक्ति 100 रु. का हीरा खरीदना चाहे तो यह असम्भव होगा।

7. **पूरक वस्तुएँ** (Complementary goods)—पूरक वस्तु का आशय ऐसी वस्तु से है, जिसका क्रय किसी दूसरी खास वस्तु के साथ किया जाना आवश्यक होता है; जैसे—स्कूटर एवं पेट्रोल, स्लेट एवं पेन्सिल, कलम एवं स्याही आदि। यदि किसी व्यक्ति के पास स्कूटर है तो कम उपयोगिता मिलने की स्थिति में भी पेट्रोल खरीदना ही होगा। अतः ऐसी वस्तुओं के साथ यह नियम लागू नहीं होता है।

8. **अज्ञानवश** (Due to ignorance)—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की मान्यताओं के अन्तर्गत मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना गया है और अधिकतम सन्तुष्टि की प्राप्ति के लिये वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि व्यय की गई मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता सभी वस्तुओं से बराबर प्राप्त हो। किन्तु यह आवश्यक नहीं कि उपभोक्ता को उपभोग की प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता की जानकारी हो ही। वस्तुओं की संख्या अधिक रहने या भौगोलिक दूरी या अन्य कारणों से वस्तुओं की उपयोगिता मालूम करना असम्भव हो जाता है। कभी-कभी अज्ञानतावश उपभोक्ता कम उपयोगिता वाली वस्तुओं का भी उपभोग करता है। अतः वह अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति नहीं कर पाता है।

9. **उपभोक्ता उतने विवेकशील नहीं होते जितना कि इस सिद्धान्त के अन्तर्गत माना गया है** (Consumers are not so rational as this law considers)—निःसन्देह मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, किन्तु उतना विवेकशील नहीं है जितना कि इस नियम के अन्तर्गत माना गया है। किसी वस्तु का क्रय करते समय वह उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता एवं वैकल्पिक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता की तुलना नहीं कर पाता है। वह यह तय नहीं कर पाता है कि उपभोग की जाने वाली वस्तु से उसे अधिक उपयोगिता मिल रही है या वैकल्पिक वस्तु के उपभोग से।

10. **उपभोग का निश्चित अनुपात** (Fixed proportion of consumption)—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनका उपभोग एक निश्चित अनुपात में ही सम्भव है; जैसे—चाय, दूध, चीनी, रोटी, सब्जी इत्यादि। अतः इन वस्तुओं के साथ यह नियम लागू नहीं होता है।

11. **उपयोगिता की माप की कठिनाई** (Difficulties in measurement of utility)—उपयोगिता एक मानसिक घटना है। इसका सही-सही माप सम्भव नहीं है। अतः जब उपयोगिता का माप ही सम्भव नहीं है, तो इसे अधिकतम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हिक्स (Hicks) के अनुसार "ऐसी उपयोगिता जो मात्र मानसिक स्तर पर अनुभव की जाती हो, उसकी माप हास्यप्रद-सी प्रतीत होती है।"

12. **मूल्य-नियन्त्रण एवं राशनिंग** (Price Control and Rationing)—मूल्य नियन्त्रण सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसके अन्तर्गत मूल्य को एक सीमा तक ही नियन्त्रित रखा जा सकता है तथा राशनिंग के अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्ता को मिलने वाली वस्तु की मात्रा निश्चित कर दी जाती

Scanned with CamScanner

है। राशनिंग के कारण उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार किसी वस्तु पर खर्च नहीं कर पाता। अतः ऐसी स्थिति में इस नियम का क्रियाशील होना असम्भव-सा प्रतीत होता है।

13. **वस्तुओं का टिकाऊपन** (Durability of goods)—कुछ वस्तुओं का उपभोग काल लम्बा होता है जिससे उनकी सीमान्त उपयोगिता का पता लगाना एक कठिन काम है। जैसे—रेडियो, टी. वी., मोटर-साइकिल, फ्रीज इत्यादि। अतः ऐसी वस्तुओं के साथ यह नियम लागू नहीं होता है।

14. **बजट की अनिश्चित अवधि** (Indefinite budget period)—उपभोक्ता द्वारा बजट बनाने की अवधि अनिश्चित होती है। अधिकांश उपभोक्ता अपना पारिवारिक बजट बनाते ही नहीं। वे यों ही खर्च करते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता की जानकारी नहीं हो पाती है। परिणामतः सम-सीमान्त नियम की क्रियाशीलता कठिन हो जाती है।

निष्कर्ष—उपरोक्त सीमाओं के बावजूद भी यह नियम व्यक्ति, परिवार, कृषि, उद्योग, व्यापार, यातायात, वित्त आदि क्षेत्रों में काफी लाभदायक सिद्ध हुआ है। हम अपने सीमित साधनों का प्रयोग सही ढंग (लाभप्रद ढंग) से तभी कर सकते हैं, जब हम उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के बीच इस प्रकार विभाजित करें ताकि प्रत्येक उद्देश्य से प्राप्त सीमान्त उपयोगिता बराबर हो जाय। यद्यपि, व्यवहार में इस नियम की कई कठिनाइयाँ हैं, फिर भी यह सत्य है कि हम ज्ञात अथवा अज्ञात रूप में इस नियम का पालन करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

प्रो. चैपमैन शब्दों में, **"जिस प्रकार हवा में फेंका हुआ पत्थर पृथ्वी पर गिरने को बाध्य है, उसी प्रकार हम अपनी आय का वितरण, प्रतिस्थापन नियम के अनुसार करने के लिये बाध्य नहीं किये जाते, किन्तु वास्तव में हम कुछ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हम विवेकशील हैं।"**

"We are of course, not compelled to distribute our income according to the law of substitution or equi-marginal expenditure as a stone thrown in the air is compelled, in a sense to fall back to the earth but as a matter of fact, we do so in a certain rough fashion because we are rational."

—*Chapman*

Scanned with CamScanner